

निर्माण सिविल सर्विसेज मासिक पत्रिका मार्च, 2019 (अंक: 8)

मुख्य संपादक :

कमलदेव सिंह

संपादक :

रजनीश कुमार

इम्तियाज खान

संपादकीय सलाहकार :

स्वदीप कुमार

सहयोगी :

मनीष प्रियदर्शी, तरूनेन्द्र कुँवर, सुब्रत पाण्डेय, शिल्पा देवी एवं सनी वर्मा

ग्राफिक्स एंड डिजाइन :

संतोष कुमार झा, पंकज तिवारी, सुनील कुमार एवं संतोष झा

© प्रकाशक

HEAD OFFICE

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-110009

ENQUIRY OFFICE

631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09

Website: www.nirmanias.com

E-mail: nirmanias07@gmail.com

Ph.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797



इस अंक में...

प्रश्नपत्र - (1)	
सतत विकास और समय परिवर्तन	1
10 प्रतिशत आरक्षण	3
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018	4
वर्ष 2018 में जेमिनिड उल्का वर्षा	5
'हंपी'	5
कुंभ	6
इंडिया स्टील 2019	7
पवित्र कैलास बनेगा राष्ट्रीय धरोहर	8
'यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा'	8
नेशनल वॉर मेमोरियल	9
शाहपुरकंडी बांध	10
तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2018	10
21 राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र इको सेंसिटिव घोषित	11
जल संरक्षण शुल्क	12
'कड़कनाथ'	12
पंज तीरथ	13
बाल विज्ञान कांग्रेस	14
एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर लागू की सुरक्षा व्यवस्था	14
कुष्ठ तलाक का आधार नहीं	15
ओडीएफ भारत लक्ष्य प्राप्ति की ओर: रिपोर्ट	16
वेब-वंडर वुमन अभियान	17
'खेलो इंडिया युवा खेलों' का दूसरा संस्करण पुणे में शुरू	17
'स्वदेश दर्शन'	17
चार और परियोजनाओं को मंजूरी	18
350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी	19
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019	19
उरुका उत्सव	20
मौसम की ज्यादा सटीक जानकारी	21
ASER रिपोर्ट 2018	21
विश्व संगीत महोत्सव	22
"सांझी-मुझ में कलाकार"	22
वर्ल्ड रैंकिंग: यूनिवर्सिटी	23
गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा	23
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	24
भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय	24
शहरी समृद्धि उत्सव	25
डीएमएफ/पीएमकेकेकेवाई पर प्रथम कार्यशाला	26
प्रश्नपत्र - (2)	

प्रश्नपत्र - (2)		
वेनेजुएला संकट	27	
अमेरिकी शटडाउन	28	
सैस 'पब्लिक अकाउंट' में नहीं : कैंग	30	
चाबहार का नियंत्रण भारत को	30	
केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट	31	
जस्टिस खन्ना और जस्टिस माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश	34	

गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक दर्जा	34	ई-नाम	63
15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस	36	सौर ऊर्जा/जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केंद्र	64
आधार कार्ड से नेपाल-भूटान की यात्रा को मंजूरी	37	कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस उत्पादन पर रिपोर्ट	64
भारत – मॉरीशस वार्ता	37	माइक्रोसैट-आर और कलामसैट	65
अमेरिका: सेना में ट्रांसजेंडर पर रोक	38	पुनर्पूंजीकरण से निवेश में मजबूती	66
जनजातीय भारत आदि महोत्सव	38	निर्यातकों को 600 करोड़ की ब्याज सब्सिडी	67
संविधान की धारा -280 में संशोधन	39	यू. के. सिन्हा समिति	68
आईसीएटी/केआईएपीआई के मध्य समझौता	39	चांगी-4	68
'अति उन्नत' युद्धपोत	40	भारतीय चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग	69
भारत, मोरक्को के मध्य द्विपक्षीय सहयोग	40	अनाज गुणवत्ता घोटाला	70
लोकसभा के 45 सदस्य निलंबित	41	S-400	71
लोकपाल	41	भोपाल मॉडल	74
चीन ने बनाया महाबम	42	भारतीय सेना में 'एआई' तकनीक	75
अपंगता को दूर करने की तकनीक	42	बहु-ब्रांड खुदरा में विदेशी निवेश की अनुमित नहीं	76
असम विधानसभा में आरक्षण	43	आयात में संरक्षण हेतु प्रभावी कदम	79
वेबकास्ट	43	समीक्षा : दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	79
डायबिटीज की जाँच	45	नयी पेटेंट दवाओं को पांच साल की छूट	81
नॉर्वे के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा	46	बिजली टैरिफ नीति	82
ग्रीन कार्ड के सम्बन्ध में भारतीय दूसरे स्थान पर	47	पाबुक तूफान	82
नवोदय विद्यालयों में अतिरिक्त सीटों की मंजूरी	47	एचएएल बनाएगा हथियारबंद एलसीए तेजस	83
रेलवे के पुराने पुल दुर्घटना का कारण	48	मोरेह में एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन	83
ब्रेक्जिट	48	मेघालय सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना	83
रायसीना संवाद	49	FDP बिल	84
समुद्री समझौता	49	वैश्विक मंदी की आहट	84
भारत और फ्रांस के मध्य समझौता	50	डार्क वेब	85
H1B वीजा नियम	50	जीएसटी में सुधार हेतु प्रस्ताव	86
'बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय विमर्श'	50	केवाईसी का विस्तार	87
हुनर हाट	51	पेट्रोल पंपों पर मिलेगा फास्टैग	88
गुजरात में आरक्षण	52	लेजर से सीमा सुरक्षा	89
वुमनिया ऑन (जीईएम)	52	2030 तक वैश्विक विमान यात्रा में 100 प्रतिशत वृद्धि	89
विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ेंगी	52	भारतीय नस्लों के पशुओं में सुधार हेतु तकनीक	90
परिवार नियोजन नियम पर रोक	53	DNA तकनीक बिल लोकसभा से पारित	91
भारत और मालदीव के बीच समझौता	53	बैंकिंग इकाइयों के रूप में सहकारिता मॉडल	91
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता	53	सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत	92
स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी	54	विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार	92
स्कूलों में विज्ञान, गणित पढ़ाने में सहयोग करेंगे आईआईटी,	54	स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	92
आईआईएसईआर		सीवर लाइन की सफाई बैक्टीरिया से	93
चीन का महाशक्ति बनने का प्रयास	54	छोटे उद्यमों को जीएसटी सीमा में छूट	93
भारत जापान के बीच ऋण समझौता	55	प्रदूषण पर उच्च-स्तरीय समिति	94
भारत/उज्बेकिस्तान के मध्य यूरेनियम अनुबंध	55	औद्योगिक उत्पादन में गिरावट	95
प्रश्नपत्र - (3)		भारत-चीन सीमा पर 44 सड्कें बनवाएगी सरकार-रिपोर्ट	95
भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड	E (ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया	96
भारताय ।दवाला आर ।दवा।लयापन बाड बाबा कल्याणी समिति	56	नौवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	96
	57	नावा अतराष्ट्राय सम्मलन भारत में रोबोट संभालेगा ट्रैफिक	97
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट	58	·	97
मुद्रा विनिमय प्रबंध प्रारूप	59	नया DNA दूल 'डीडी साइंस' और 'इंडिया साइंस' की शुरुआत	
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण / GSAT-7A	60	डाडा साइस आर इाडया साइस का शुरुआत चांद पर पहला पौधा	98 99
Illand a could'	41	MIN 75 701 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	77

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

माइक्रोसॉफ्ट एआई-सेंसर

रचनात्मक सामानों के निर्यात में भारत विश्व का अग्रणी देश 'अपने बजट को जानिए' पहल शुरू

99

100

भारत जलवायु परिवर्तन पर कार्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में	101	इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर	129
एक अग्रणी देश		इंडोनेशिया में सुनामी	130
एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना		अंडमान द्वीपों के नाम परिवर्तन	130
भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को स्वीकृति		वर्ष 2023 : अंतर्राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार दिवस	130
'सक्षम 2019'		आर्कटिक रेंडीयर की संख्या में गिरावट	131
पेट्रोल पंप से निकलने वाली खतरनाक गैस	103	भारत में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन	131
सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	103	टनेलबॉट	132
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	104	कोप-24 कैटोवाइस वॉयजर-2	133
'उन्नति' इसरो का क्षमता निर्माण कार्यक्रम	104	वायजर-∠ '2018 वी जी 18'	133
टाइटन के उत्तरी हिस्से में मिथेन की बारिश	104	2018 पा जा 18 जीएसएलवी-एफ 11 से जीसैट-7ए का प्रक्षेपण	133 134
राष्ट्रीय कारोबार रजिस्टर	105		134
भारत की पहली लीथियम आयन गीगा फैक्ट्री	105	सुदर्शन पटनायक इंडियन साइंस कांग्रेस	
भारतीय नौसेना की क्षमता वृद्धि	106	अरुणिमा सिन्हा	134 136
मिलिट्री पुलिस में होगी 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती	106	'स्वच्छ सर्वेक्षण 2019'	137
भारत के साथ मिसाइल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका	106	'भारतीय महिला जैविक उत्सव'	137
रेलवे का संचालन निजी हाथों में	107	पहुंच	137
ट्रेन 18 का निर्यात	107	एडीएम क्रिस्टोफ प्राजुक का भारत दौरा	138
'स्टार्ट-अप इंडिया' योजना पर ग्रहण	108	आईटी कानून की धारा 66ए	138
इको निवास संहिता 2018	109	देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज	138
बिग बैग के समय के अवशेष की खोज	110	100वां विद्युत इंजन 'शतक'	139
कृषि निर्यात नीति 2018	111	शेख हसीना	139
•		76वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स	139
प्रश्नपत्र - (4)		आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार	140
भावनात्मक बुद्धि/निर्णयन में इसकी भूमिका	112	विश्व बैंक अध्यक्ष का इस्तीफा	140
केस स्टडी	113	गीता गोपीनाथ	141
		नंदन नीलेकणि समिति	141
समसामयिक मुद्दों से संबंधित लेख		तिब्बत सीमा पर चीन की तोपें	142
प्रारंभिक शिक्षा नीति में बदलाव	115	सड़क, सीवेज परियोजना	142
NRC तथा संकट	119	अप्सरा रेड्डी	142
		कुमार राजेश चन्द्र	143
प्रारम्भिक परीक्षा विशेष : 2019		एलिजा किट्स	143
समसामयिक घटनाक्रम	123	ब्रांड सेलेब्रिटी की सूची	143
एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019	123	निकोलस मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने	144
अंतरिक्ष में जानवर नहीं रोबोट भेजेगा इसरो	123	इंडिया एक्सपो मार्ट	144
भारत में सीदी समुदाय	124	कांगो में राष्ट्रपति चुनाव	144
विश्व आर्थिक मंच	124	प्रदूषण पर उच्च-स्तरीय समिति	144
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट	124	संसद रत्न अवार्ड	145
मणिपुर में पक्षी अभ्यारण्य	125	विनेश फोगाट	145
9 अमीरों के पास आधी आबादी जितनी संपत्ति	126	राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार	145
नेपाल में सिर्फ 100 रुपये का भारतीय नोट	126	शी बॉक्स	146
भारत पर्व	126	वन स्टॉप सेंटर	146
बिहार की 2017-18 में सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ	127	शाउट	147
2040 तक 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा	127	25 राज्यों के सौ फीसदी घरों का विद्युतीकरण	147
भारत और जापान सहयोग	127	जीसैट-11 का प्रक्षेपण	147
भारत और कुवैत के मध्य समझौता	127	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018	147
भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019	128	नीति आयोग समीक्षा 2018	148
आईएन कुहासा	128	ज्ञान एवं नवाचार केंद्र	155

उद्यम संबंधी पारितंत्र को प्रोत्साहन

70वां गणतंत्र दिवस

प्रश्नपत्र-



सतत विकास और समय परिवर्तन

संदर्भ :

- सन् 1760 और 1840 के बीच पहली औद्योगिक क्रांति ने लौह और इस्पात के उपयोग और मानव श्रम को आसान बनाने का काम किया।
- 1870 और 1914 के बीच दूसरी औद्योगिक क्रांति पेट्रोलियम, कोयले और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत के रूप में जानी जाती है।
- इसके प्रभाव 1900 के दशक में प्रकट हुए थे। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पर पहला असंतोष दस्तावेज 1962 में राशेल कार्सन की 'साइलैंट स्प्रिंग' के रूप में सामने आई थी।
- यह बगों को मारने की नीयत से जीवमंडल में डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन (डीडीटी) के प्रवेश करने के बारे में था। इसने पिक्षयों और मछिलयों के माध्यम से खाद्य शृंखला पर हमला किया जो अंतत: मानव तक पहुँच गया।
- साइलैंट स्प्रिंग एक शुरुआत थी। इसने दुनिया भर में पर्यावरणविद् के बारे में विचारों को जन्म दिया। 1970 में संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (यूएसईपीए) की स्थापना हुई।
- डीडीटी के कैंसरजनक होने की संभावना के आधार पर 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- यह पता चला कि यह गंजा ईगल के लिपिड में जमा होकर उसकी प्रजनन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। राष्ट्रपति केनेडी ने राशेल कार्सन के दावे की जांच का जिम्मा विज्ञान सलाहकार समिति को दिया।
- बायोटा पर कीटनाशकों के प्रभावों का अध्ययन के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया गया।
- पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो चिंताएं सामने आईं उससे अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में नए कानून और नई पहलें आरंभ की गई।
- वाइल्डरनेस प्रोटेक्शन एक्ट (1964), नेशनल वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स एक्ट (1965), संकटापन्न प्रजाति संरक्षण अधिनियम (1966) और पर्यावरण रक्षा निधि (1967) संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी पहलों के उदाहरण हैं।

सततता की अवधारणा का विकास

- संयुक्त राष्ट्र ने 1968 में पेरिस में जैवमंडल के उचित उपयोग और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- जो कि वैश्विक जीवमंडल की सुरक्षा के लिए समर्पित है। पारिस्थितिक रूप से सतत विकास की अवधारणा पर प्रारंभिक चर्चाएं प्राकृतिक रूप से सतत विकास की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उनके संरक्षण पर केन्द्रित थी।
- पहला पृथ्वी दिवस 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया। 'प्रदूषक को भुगतान करना पड़ता है' सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका सिहत विश्व के अधिकांश हिस्सों में पर्यावरण कानून का हिस्सा बन गया है। सतत् विकास की यात्रा के क्रम में यह एक मील का पत्थर था।
- 1971 तक फ्रांस, स्वीडन, कनाडा और जापान समेत कई देशों में, पर्यावरण की रक्षा के लिए मंत्रालयों या एजेंसियों का निर्माण किया गया।
- गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इन्होंने वाचडॉग के रूप में कार्य किया, सरकारी मशीनरी को कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित किया जहाँ मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा था वहाँ निगरानी की भूमिका अदा कर सरकार को कार्यवाही के लिए प्रेरित किया और इस तरह संरक्षण को बढावा दिया।
- वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की उत्पत्ति हुई जिसका उद्देश्य सतत्ता को बढ़ावा देना था।
- 1972 में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 'विकास की सीमाएं' रिपोर्ट प्रकाशित की।
- इसमें पाया गया कि जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन, संसाध नों में कमी, औद्योगिक उत्पादन और प्रदूषण पृथ्वी पर विकास को सीमित करते हैं।
- साथ ही यह देखा गया कि पृथ्वी पर मौजूदा संसाधनों का संग्रह और विकास का जो स्तर है, उसको देखते हुए विकासात्मक गतिविधियों को वर्ष 2100 से परे जारी नहीं रखा जा सकता।

निर्माण सिविल सर्विसेज

ब्रुटलैंड की सतत विकास की क्लासिक परिभाषा 1987 में प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार मानवता में विकास को सतत् करने की क्षमता निहित है। यह सुनिश्चित करते हुए कि अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरी करते हुए भावी पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं किए जाए।

 ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, 'हमारा साझा भविष्य' के तीस वर्षों के बाद भी सतत् विकास की यही परिभाषा पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है।

ग्लोबल वार्मिंग की संकल्पना

- जब 19वीं सदी के अंत में मानव जिनत ग्लोबल वामिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा हुई, तब एक मत ने तर्क दिया कि ग्लोबल वार्मिंग भी प्राकृतिक शिक्त का ही परिणाम हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी की धुरी की अस्थिर गित से वैश्विक तापमान में परिवर्तन हो सकता है।
- मोलिना और रोवलैंड (1974) ने पहली बार बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उत्सर्जन और सीएफसी गैसों का अनियमित दर से निरंतर उपयोग ओजोन परत को गंभीर रूप से कम कर देगा।
- वर्ष 1985 में विश्व मौसम विज्ञान सोसाइटी, यूएनईपी और वैज्ञानिकों के संघ का अंतर्राष्ट्रीय परिषद की ऑस्ट्रेलिया में हुई बैठक में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के जमा होने की सूचना दी।
- फार्मन एवं अन्य (1985) ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में कमी आई है।
- 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, पृथ्वी के ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाया गया।
- ओजोन परत में क्षरण होने की दशा में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल के निम्न परत में प्रवेश कर जाएगा। यह विकिरण त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ भूमि और पानी पर प्रतिकृल प्रभाव डालेगा।
- वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल (आईपीसीसी) का जन्म हुआ। उनके समेकित प्रयास ने वैश्विक समुदाय को यह स्पष्ट किया कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन मानव प्रेरित थे।
- वर्ष 2007 में आईपीसीसी को पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अपने उद्धरण में, नोबेल सिमिति ने कहा कि 'आईपीसीसी और गोर को (मानव) जिनत जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक ज्ञान संचित करने और प्रसारित करने के उनके प्रयासों तथा ऐसे परिवर्तनों को टालने के लिए उपाय बताने के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया।'

संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज

- 1990 में पहली आईपीसीसी आकलन रिपोर्ट ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती को कम करने में वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
- इसके तुरंत पश्चात् ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु वैश्विक संधि के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) की स्थापना की गई।

रियो शिखर सम्मेलन

- वर्ष 1991 के रियो शिखर सम्मेलन में, यूएनएफसीसीसी पर्यावरण और सतत विकास के मुख्य विषयों के साथ हस्ताक्षर के लिए खोला गया।
- वर्ष 1995 से, प्रत्येक वर्ष यूएनएफसीसीसी सदस्य देशों में से किसी एक देश में इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक करती है। अभी हाल में दिसंबर, 2018 में पोलैंड के केटोवाइस में इनका सम्मेलन हुआ।

सतत विकास की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2000 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को 2015 में प्राप्त करने का अनुमान लगाया था। इनमें आठ लक्ष्य थे जिनमें से सातवां लक्ष्य पर्यावरणीय सततता था।
- वर्ष 2015 में प्रकाशित समीक्षा रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अपनी किमयों के बावजूद एमडीजी विकसित और विकासशील देशों में निर्णय लेने में सफल रहा।
- वर्ष 2016 में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निर्धारित किए
 गए जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरे किए जाने हैं।
- इसके 17 लक्ष्यों में से तेरहवां लक्ष्य जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। एसडीजी पर 2017 की रिपोर्ट में बताया गया कि एसडीजी प्राप्त करने में प्रगति की गति अपर्याप्त हैं।
- सितंबर, 2018 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक भूख के मुख्य कारणों में से एक है।
- भूमि का क्षरण, मरुस्थलीकरण, पानी की कमी और बढ़ते समुद्री जल स्तर जैसी चरम घटनाओं के बढ़ने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि भृख के मुद्दे से निपटने के वैश्विक प्रयासों

निर्माण IAS

पिर-1

को जलवायु परिवर्तन पराजित कर रहा है।

दुनिया के कई हिस्सों में, जलवायु आपदाओं ने सतत विकास के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय योजनाओं को प्रभावित किया है। संभवत: इन योजनाओं में आपदाओं के प्रबंधन के लिए भी जगह बनाने का समय आ गया है।

निष्कर्ष

- वर्ष 1962 में अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना से, सबसे हालिया संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2016 तक, मानव जाति के लिए पृथ्वी पर शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। लेकिन देर से यह महसूस किया गया है कि गरीबी, असुरक्षित आजीविका आदि जैसी मानव अनियमितताएं प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम रही है।
- इन प्राकृतिक घटनाओं से मानव जीवन को कितनी बाधाओं को सहन करना पड़ा है उसकी पहचान करने के लिए एक समेकित प्रयास की जरूरत है तािक दुनिया भर के देश इन चिंताओं को दूर करने के लिए नीितगत उपायों एवं उनके सफल क्रियान्वयन के द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का वचन दे सकें।

10 प्रतिशत आरक्षण

चर्चा में क्यों?

- सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केन्द्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी।

मुख्य तथ्य :

- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित 50 फीसद के कोटे को छेड़े बिना सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का फैसला लिया है।
- इसका लाभ सवर्ण हिंदुओं के साथ-साथ सभी अनारिक्षत जाति के गरीबों को मिलेगा।
- इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा ओबीसी के समान ही रखी जाएगी।
- इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा
- संविधान में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद
 15(4) में किया गया है जबिक पदों एवं सेवाओं में आरक्षण
 का प्रावधान संविधान के अनुच्देद 16 में किया गया है।

इन्हें मिलेगा लाभ

- ऐसे परिवार, जिसकी सालाना आय आठ लाख या उससे कम होगी।
- जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
- ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट है।
- अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है।
- गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है।
- जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी तय कर रखा है
- इन्दिरा साहनी मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों के फैसले के बाद आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी कर दिया गया था, जिस पर अब बदलाव होना मुश्किल है।
- सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएच कानिया की अध्यक्षता में नौ जजों की बेंच ने 1992 में आरक्षण के सभी पहलुओं पर विस्तार से फैसला दिया था।
- सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मद्देनजर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी. सरकारी नौकरियों में मेरिट नजरअंदाज नहीं हो, इसलिए 50 फीसदी की सीमा भी तय कर दी गई थी।
- राजस्थान, हिरयाणा और महाराष्ट्र में जाट और मराठों को आरक्षण का मामला न्यायिक हस्तक्षेप की वजह से अमल में नहीं आ सका।
- गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए भारत सरकार का फैसला भी आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में अटक सकता है।

संविधान में बदलाव

- यह आरक्षण आर्थिक आधार पर लाया गया जिसकी अभी तक संविधान में व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा।
- इसके लिए अनुच्छेद 15 और 16 में एक-एक उपबंध जोड़ा गया और सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

आधार

 सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला सिन्हा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया है।

तिर्माण IAS

- सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसआर सिन्हा की अध्यक्षता में 2006
 में एक आयोग का गठन किया गया था। इसने 22 जुलाई,
 2010 को अपनी रिपोर्ट दी थी।
- रिपोर्ट में सामान्य जातियों के गरीब लोगों को भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी।

अभी किसको कितना आरक्षण				
•	अनुसूचित जाति (एससी)	15 फीसद		
•	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	7.5 फीसद		
• अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)		27 फीसद		
•	कुल आरक्षण	49.5 फीसद		

प्र. आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण किस हद तक भारतीय समाज को समावेशी बनाने में सहयाक है? भारतीय समाज के और अधिक समावेशी विकास के लिए क्या किये जाने की आवश्यकता है?

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018

संदर्भ :

- वर्ष 2018 के लैंगिक अंतराल सूचकांक (Global Gender Gap Index 2018) में विश्व के 149 देशों के सूचकांकों में भारत को 108वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है।
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले इस सूचकांक में वर्ष 2017 में भी भारत इसी रैंक पर था, अर्थात ओवरऑल उसकी रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मुख्य तथ्य :

- रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 66.5 प्रतिशत जेंडर गैप को कम करने में सफल रहा है परंतु अभी भी 33.5 प्रतिशत लैंगिक असमानता की खाई को कम करना शेष है।
- जेंडर गैप मापन के चारों मानकों में विगत वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।
- स्वास्थ्य व उत्तरजीविता के मामले में तो भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाला देश है।
- हालांकि रिपोर्ट के अनुसार समान कार्य के लिए मजदूरी के स्तर पर भारत में सुधार देखा गया है और टर्शियरी स्तर की शिक्षा (कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल) में पहली बार भारत लैंगिक असमानता की खाई को पूरी तरह समाप्त करने के करीब पहुँच गया है।
- रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में एक और विरोधाभास की ओर इशारा किया गया है।

- भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस श्रम बल वाला देश है, साथ ही विश्व में सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस लैंगिक अंतराल वाला देश भी है।
- भारत में पुरुषों के 78 प्रतिशत के मुकाबले केवल 22 प्रतिशत
 महिलाएं श्रम बल ही इस क्षेत्र में है।

अन्य बिन्दु :

- वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जेंडर गैप में सुधार के बावजूद स्वास्थ्य व शिक्षा तथा राजनीतिक सशिक्तकरण के मामले में ट्रेंड प्रतिकूल होता हुआ दिखाई दिया।
- परिवर्तन की वर्तमान दर जारी रहने पर 108 वर्षों के बाद ही जाकर पुरुष एवं महिला में असमानता की खाई को लगभग पाटा जा सकता है।
- हालांकि आर्थिक स्तर पर समानता प्राप्त होने में 202 वर्ष लग जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच की इस सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग आईसलैंड को प्राप्त हुई है।
- मतलब यह कि विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश आइसलैंड है।
- हालांकि वह भी पूर्ण लैंगिक समानता वाला देश नहीं है। वहाँ 85 प्रतिशत लैंगिक असमानता को समाप्त कर लिया गया है। आइसलैंड के पश्चात स्वीडन और फिनलैंड का स्थान है।

विभिन्न मानकों पर विश्व में भारत की लैंगिक अंतराल रैंकिंग 2018 2019 ओवरऑल रैंकिंग 108 108 आर्थिक भागीदारी व अवसर 139 142 शैक्षिक उपलब्धि 114 112 स्वास्थ्य व उत्तरजीविता 147 141 राजनीतिक सशक्तिकरण 19 15

ग्लोबल जेंडर गैप वैश्विक रैंकिंग				
देश	रैंकिंग 2018 (स्कोर)	रैंकिंग 2017 (स्कोर)		
आईसलैंड	1 (0.858)	1 (0.878)		
नॉर्वे	2 (0.835)	2 (0.830)		
स्वीडन	3 (0.822)	3 (0.816)		
फिलीपींस	8 (0.799)	8 (0.790)		
बांग्लादेश	48 (0.721)	48 (0.719)		
यूएसए	1(0.720)	1(0.718)		
चीन	51 (0.720)	51 (0.674)		
भारत	103 (0.673)	103 (0.669)		
पाकिस्तान	148 (0.550)	148 (0.546)		
यमन	149 (0.499)	149 (0.516)		

4